

तार : पर्यावरण

GRAM : PARYAVARAN

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD LUCKNOW



क्षेत्रीय कार्यालय
Regional Office

सन्दर्भ सं०

Ref. No.

4829/Noe-532D/18

दिनांक

16/3/18

Dated :20

सेवा में,

श्रीमती विमला देवी,
पत्नी स्व० श्री रमेश चन्द्र,
मकान नं०- 537, विजय नगर कालोनी,
एटा ।

विषय: मै० इंडियन ऑयल कार्पो० लि०, खसरा नं०- 314, ग्राम- पुरैनी बिसवा, सीतापुर के अनापत्ति प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय में आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 16.03.18 को प्राप्त हुआ है का संदर्भ ग्रहण करें। आपकी इकाई को इस कार्यालय के पत्र संख्या- 1659/एन०ओ०सी०/532-डी/2015 दिनांक- 30.09.2015 को शर्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया था । आप द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण-पत्र 2019 तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया है कि पेट्रोल पम्प का कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका है ।

अतः आपके प्रार्थना पत्र के मै० इंडियन ऑयल कार्पो० लि०, खसरा नं०- 314, ग्राम- पुरैनी बिसवा, सीतापुर की वैधता अवधि को 31/12/2019 तक बढ़ाया जाता है । पूर्व निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र आदेश दिनांक 30.09.2015 में अधिरोपित शर्तें यथावत् रहेगी ।

भवदीय,

(डा० राम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी



दूरभाष-0522-2722232
फैक्स-0522-2722232

क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पिकप भवन, बी ब्लॉक, चतुर्थ तल, विनूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

संख्या- 1659 / एन०ओ०सी० / 532-डी / 2015 लखनऊ

दिनांक 30/9/15

सेवा में,

मै० इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि०,
मकान नं०-537, विजय नगर, कालोनी,
जिला-एटा

विषय पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के निर्गमन के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र जोकि इस कार्यालय में दिनांक 30/08/15 को प्राप्त हुआ है, का संदर्भ ग्रहण करें। आपके आवेदन पत्र, अभिलेखों एवं दी गयी सूचनाओं के आधार पर जांच की गयी एवं स्थल के निरीक्षणोपरान्त पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिये ही निर्गत किया जा रहा है:-

क. स्थल	मैसर्स इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि०, खसरा नं०-314, ग्राम-पुरैनी बिसवा, सीतापुर
ख. उत्पादन	20 किली० एवं 20 किली० के टैंक में पेट्रोल (एम०एस०) एवं डीजल-(एच०एस०डी०)
ग. कच्चा माल	एच०एस०डी०, एम०एस०डी०
घ. औद्योगिक उत्स्राव की मात्रा	शून्य
ड प्रयुक्त ईंधन	-

2. उद्योग की स्थापना आवेदन पत्र पर उल्लेखित स्थल पर ही किया जायेगा। 20 किली० एवं 20 किली० के टैंक में पेट्रोल (एम०एस०) एवं डीजल-(एच०एस० डी०) का भण्डारण भूमिगत सुरक्षित स्टील टैंकों में किया जायेगा तथा इण्डियन आयल कार्पो० लि० से आपूर्ति मशीनों के माध्यम से ईंधन की बिक्री करेगा।

विकास वर्मा/VIKAS VERMA
वरिष्ठ प्रबन्धक (खुदरा विक्री)/Sr. Manager (RS)
लखनऊ मण्डलीय कार्यालय/Lucknow Divisional Office
इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि०/Indian Oil Corporation Limited
आयल कॉम्प्लेक्स, अलीगंज, लखनऊ/Refinery Complex, Aligarh, Lucknow

3. घरेलू जल/मल के निस्तारण हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट की स्थापना इकाई के संचालन से पूर्व करना सुनिश्चित किया जाये।
4. प्रस्तावित 05 केवीए के डी0जी0 सेट पर राज्य बोर्ड मानकों के अनुरूप ध्वनि/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करना अनिवार्य होगा।
5. इकाई में यथा सम्भव खाली स्थानों पर त्वरित गति से बढ़ने वाले पौधों का रोपड़ कर हरिफिटिका विकसित की जाये।
6. दुर्घटना/आकस्मिक आग से निपटने हेतु समुचित सुरक्षा व्यवस्था स्थापित किये जाने हेतु अग्निशमन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र का शत प्रतिशत अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
7. परीक्षण उत्पादन से पूर्व नियमानुसार जल/वायु अधिनियम के अनुपालन में बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये।
8. यह आदेश निर्गमन तिथि से अगले 01 वर्ष हेतु विधि मान्य होगा।

उपरोक्त शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें अन्यथा नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

भवदीय,



(कुलदीप मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

विकस वर्मा/VIKAS VERMA
वरिष्ठ प्रबन्धक (खुदरा बिक्री)/Sr. Manager (RS)
लखनऊ मण्डलीय कार्यालय/Lucknow Divisional Office
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि./Indian Oil Corporation Limited
पूरथला कॉम्प्लेक्स, अलीगंज, लखनऊ/Kapoorthala Complex, Aliganj, Lucknow

